प्रेस विज्ञप्ति
18.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.07.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसके तहत अंकुश बस्सी, पीयूष मलिक, गुरमीत सिंह गांधी और अन्य द्वारा अवैध कॉल सेंटर चलाने से संबंधित धन शोधन जांच में लुधियाना और मोहाली में स्थित 7.31 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 और आईटी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत अंकुश बस्सी और उसके साथियों के खिलाफ ग्राहक सहायता प्रतिनिधियों का प्रतिरूपण करके और उन्हें उपहार कार्ड और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति खरीदने में हेरफेर करके विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि अंकुश बस्सी, पीयूष मलिक और गुरमीत सिंह गांधी बिना किसी संबद्धता के कथित तौर पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक कॉल सेंटर चला रहे थे और सेवा प्रदान करने के बदले विदेशों में बेखबर ग्राहकों को धोखा देकर उनसे उपहार कार्ड और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियाँ खरीदवाईं। बाद में, आरोपियों ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से भारत में उपहार कार्ड और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों को भुनाया और इन व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के कई बैंक खातों के माध्यम से उन्हें स्थानांतरित किया। इस प्रकार अवैध गतिविधियों से अर्जित अपराध के आगमों का उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया।

आगे की जाँच जारी है।